

7. व्यवस्था के साथ तैयार करने के लिए नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श अथवा प्रतिनिधित्व के लिए विवरण:

नीतियों के निर्माण में आवंटित काम के क्षेत्रों से संबंधित समय - समय पर बहुमूल्य जानकारी प्राप्त है, भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित मंचों में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के साथ सूचना का आदान प्रदान

(i) विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति.

(ii) भारी उद्योग विभाग सूचना का आदान प्रदान और अपनी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक व्यापार संघ आदि से सलाह लेता है जैसे: फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, पीएचडीसीसीआइ, एआरएआई .

(iii) औद्योगिक विकास परिषदों

(iv) संसदीय सलाहकार समिति

नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर प्रतिक्रिया संसदीय स्थायी समिति और संसदीय सलाहकार समिति के संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्राप्त होता है, विभिन्न सार्वजनिक प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के अलावा, सीआईआई, फिक्की, पीएचडीसीसीआइ, एआरएआई की तरह विभिन्न औद्योगिक संघों भी समय - समय पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं.